

>

Title : Discussion on the motion for consideration of the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009 (Under Consideration).

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up item no. 16. Shri Mallikarjun Kharge.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, be taken into consideration."

यह बिल जो हम संसद में लाने जा रहे हैं, बहुत ही मूलभूत संशोधन इसमें शामिल हैं खासकर वर्कर्स के लिए। इसमें और बहुत से छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जिनसे वर्कर्स को ज्यादा फायदा हो सकता है। इस अधिनियम को जैन्डर न्यूट्रल बनाने के लिए इसके टाइटल को बदलकर वर्कमैनस की जगह इंप्लाइज़ कंपनसेशन एक्ट किया जा रहा है। वर्तमान में इसका शीर्षक वर्कमैनस कंपनसेशन एक्ट है।

दूसरा, इस अधिनियम के शैड्यूल 2 में बहुत रिस्ट्रिक्शंस के संबंध में हमें बताया गया था। यह शैड्यूल खतरनाक उद्योगों की सूची है। हमने सभी सुझावों को मानते हुए सभी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजर्स को हटाने का प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के तौर पर जहां-जहां वलेंटियर स्ट्राफ को कवर नहीं किया था, वे सभी क्लॉजर्स हमने शैड्यूल 2 से हटा दी हैं। जहां जहां यह लिखा गया था कि केवल 20 या इससे ज्यादा कामगारों वाली फैक्ट्री या एस्टैबलिशमेंट में यह लागू होगा, इसे हमने हटाकर, अगर एक एस्टैबलिशमेंट फैक्ट्री में एक या दो लोग भी काम करते हैं तो उनका भी इसका फायदा होगा।

### **18.00 hrs.**

शैड्यूल 2 में कुछ जगह पर शिफ्ट वर्करों में 25 टन का जहाज या इससे ज्यादा का रिस्ट्रिक्शन था, यह भी हमने हटा दिया। जहाज का जितना भी टनेज हो, इससे अगर खतरा है, तो वर्कर को कंपनसेशन मिलना चाहिए।

वर्कर को वर्तमान में दाह-संस्कार के लिए ढाई हजार रूपए मिलता है। इसे बढ़ाकर हमने ईएसआईसी के बराबर पांच हजार रूपए करने का प्रस्ताव रखा है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o'clock now. If the House agrees, the hon. Minister can conclude his speech.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is a very simple Bill.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may continue and he can finish his speech.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is a very simple Bill. इसे ईएसआईसी के बराबर पांच हजार रूपए करने का प्रस्ताव रखा है। यह भी प्रस्ताव है कि सरकार इसे समय-समय पर प्रूइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ाती रहेगी।

इस अधिनियम के अनुसार मजदूरी की सीमा जिस पर वर्कर को कंपनसेशन दिया जा रहा है, वह चार हजार रूपए है। हमने प्रस्ताव रखा है कि इसे भी सरकार प्रूइस इंडेक्स के हिसाब से समय-समय पर बढ़ाए।

वर्तमान में मजदूरों को इलाज के खर्च रीएम्बर्स करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे रीएम्बर्स करने प्रावधान इसमें रखा है।

इसी प्रकार न्यूनतम व अधिकतम क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसमें है। डेथ के केस में 80,000 रूपए से बढ़ाकर 1,20,000 रूपए किया गया है। परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 90,000 हजार रूपए से बढ़ाकर 1,40,000 रूपए किया गया है।

वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर वर्तमान में केवल राज्य सरकारों के अधिकारी होते हैं, उसमें स्पेशल ववालिफिकेशन का प्रावधान नहीं है। हमने अब एडवोकेट्स और जजेज को भी इसमें शामिल किया है। इसी प्रकार राज्य सरकारों के गजिटेड ऑफिसर जिनकी ववालिफिकेशन तथा एक्सपीरियंस, अन्य क्षेत्रों जैसे पर्सनल मैनेजमेंट, एच.आर.डी. तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हो, उन्हें भी इल्लिजिबिल बनाया गया है।

महोदय, हमने इस बिल में पहली बार यह प्रस्ताव रखा है कि कंपनसेशन कमिश्नर मामलों का निपटारा केवल तीन महीने के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो कोई भी केस रफर होता था, वह सालों से सेक्रेटोरिएट में या कमिश्नर के पास रहता था। इसलिए अब केवल तीन महीने में हम इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेंडमेंट लाए हैं।

महोदय, इन संशोधनों पर पार्लियामेन्टी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर एंड इंप्लायमेंट ने भी विचार-विमर्श करके रिक्मंडेशंस दी थीं। वे सारी रिक्मंडेशंस हमने एक्सेप्ट की हैं। मैं समझता हूँ कि जब स्टैंडिंग कमेटी की सोरे रिक्मंडेशंस को हमने एक्सेप्ट किया है, तो चर्चा की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अभी जो रबर बिल पास हुआ, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने नहीं गया था, इसीलिए आपने बताया कि यहां पर चर्चा की आवश्यकता है और बहुत से सदस्य उस चर्चा में हिस्सा लेकर उसे पास किए, लेकिन यह स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाकर आया है। उन्होंने जो बहुत सी रिक्मंडेशंस मजदूरों की भलाई के लिए दीं, हमने वह आपके सामने रखी हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ और सभी सदस्यगण से विनती करता हूँ कि इसको पास करके मजदूरों के हित में मुझे सहायता करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

MR. CHAIRMAN: There are some hon. Members to speak on this Bill. We will take it up tomorrow.

Motion moved

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, be taken into consideration."



MR. CHAIRMAN: The House shall now take up matters of urgent public importance.